

मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक-एफ-19-21/2018/पी-1/31
प्रति,

भोपाल, दिनांक...../...../2020

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल

विषय - "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र बाबत- श्री के० आर० नागर, से०नि० कार्यपालन यंत्री
---00---

श्री के० आर० नागर, कार्यपालन यंत्री अधिवाषिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2018 से सेवा निवृत्त हुये।

2./ विभाग में उपलब्ध जानकारी/अभिलेखों के आधार पर श्री के० आर० नागर, से०नि० कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध वर्तमान में कोई मांग एवं जांच लंबित नहीं है। श्री नागर सम्पूर्ण सेवा काल में कभी भी नर्मदा घाटी विकास विभाग में पदस्थ नहीं रहे हैं।

अतः उपरोक्त जानकारी के आधार पर श्री के० आर० नागर से०नि० कार्यपालन यंत्री के लिये "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(प्रमोद कुमार खरे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग भोपाल

भोपाल, दिनांक 03/09/2020

पृ०:००-एफ-19-21/2018/पी-1/31
प्रति हि.पि.:-

1. परियोजना संचालक एवं मुख्य अभियंता, मोहन पुरा कुण्डालिया परियोजना प्रबंधन इकाई, जल संसाधन विभाग राजगढ़ (व्यावसाय) म०प्र०
 2. अधीक्षण यंत्री, कुण्डालिया परियोजना जल संसाधन मंडल जीरापुर राजगढ़।
 3. संबंधित कोषालय अधिकारी
 4. संबंधित अधिकारी श्री के० आर० नागर से०नि० कार्यपालन यंत्री (द्वारा-प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग)।
 5. वेब मैनेजर, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु।
 6. स्टाक धंजी।
- की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।

अवर सचिव

3/9/20

म०प्र० शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल